"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 55] नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 3 फरवरी 2026 — माघ 14, शक 1947

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 2 फरवरी 2026

अधिसूचना
सं. 19/2025–राज्य कर

F.N. RULE/114/2026-COMTAX SECTION (05).— छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 15 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, माल और सेवा कर परिषद् की सिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 49/2023-राज्य कर क्रमांक एफ 10-40/2023/वाक/पांच(55) दिनांक 30 मई, 2024 (जो छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 217 दिनांक 05 जून, 2024 के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, खंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(iv) निम्नलिखित माल जिन पर खुदरा विक्रय मूल्य घोषित है, की आपूर्ति, जिनका विवरण नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (3) में दिया गया है और जो तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट संगत अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/शुल्क वस्तु के अंतर्गत आते हैं:—

तालिका

क्र. सं.	अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/शुल्क वस्तु	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	2106 90 20	पान मसाला
2.	2401	अवनिर्मित तंबाकू; तंबाकू उच्छिष्ट [तंबाकू के पत्तों को छोड़कर]
3.	2402	सिगार, चेरूट, सिगारिलो और सिगरेट, तंबाकू या तंबाकू के विकल्प से बनी
4.	2403	अन्य निर्मित तंबाकू और निर्मित तंबाकू विकल्प; "समांगीकृत" या

		"पुनरचित" तंबाकू; तंबाकू निष्कर्ष और सत्व (बीड़ी को छोड़कर)
5.	2404 11 00	तंबाकू या पुनरचित तंबाकू युक्त माल और दहन के बिना श्वसन के लिए अभिप्रेत
6.	2404 19 00	तंबाकू या निकोटीन विकल्प युक्त माल और दहन के बिना श्वसन के लिए अभिप्रेत

स्पष्टीकरण.— इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "खुदरा विक्रय मूल्य" का तात्पर्य माल पर घोषित अधिकतम मूल्य से है जिस पर ऐसा माल पैकिंग में रूप में अंतिम उपभोक्ता को विक्रय के लिए हो सकता है और इसमें सभी कर, ड्यूटी, अधिभार या उपकर सम्मिलित हैं, चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जाएं;

(ख) जहां किसी निर्दिष्ट माल के पैकेज पर एक से अधिक खुदरा विक्रय मूल्य घोषित किए गए हों, वहां ऐसे खुदरा विक्रय मूल्यों में से अधिकतम को खुदरा विक्रय मूल्य माना जाएगा;

(ग) जहां किसी निर्दिष्ट माल के पैकेज पर घोषित खुदरा विक्रय मूल्य को आपूर्ति से पहले, दौरान या उसके पश्चात् किसी भी अवस्था में खुदरा विक्रय मूल्य में वृद्धि के लिए बदल दिया गया हो, वहां ऐसे परिवर्तित खुदरा विक्रय मूल्य खुदरा को विक्रय मूल्य माना जाएगा;

(घ) जहां किसी निर्दिष्ट माल के पैकेज पर विभिन्न क्षेत्रों में पैकिंग के रूप में विक्रय के लिए विभिन्न खुदरा विक्रय मूल्य घोषित किए गए हों, वहां प्रत्येक ऐसा खुदरा विक्रय मूल्य उस क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट माल के मूल्य निर्धारण के प्रयोजनों के लिए खुदरा विक्रय मूल्य होगा जिससे यह खुदरा विक्रय मूल्य संबंधित है।

(ङ) "शुल्क वस्तु", "शीर्षक", "उप-शीर्षक" और "अध्याय" का अर्थ क्रमशः सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट शुल्क वस्तु, शीर्षक, उप-शीर्षक और अध्याय है;

(च) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची की व्याख्या के नियम, जिनमें प्रथम अनुसूची की खंड और अध्याय की टिप्पणियां तथा सामान्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां शामिल हैं, इस खंड की व्याख्या के लिए, जहां तक हो सके, लागू होंगे।"

2. यह अधिसूचना 1 फरवरी, 2026 से प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. सिंह, उप–सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 2 फरवरी 2026

F.N. RULE/114/2026-COMTAX SECTION (05).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना F.N. RULE/114/2026-COMTAX SECTION (05), दिनांक 02-02-2026 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. सिंह, उप–सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 2nd February 2026

NOTIFICATION
No. 19/2025-State Tax

F.N. RULE/114/2026-COMTAX SECTION (05).— In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 15 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification No. 49/2023–State Tax No. F 10-40/2023/CT/V(55) Chhattisgarh Commercial Tax Department, dated the 30th May, 2024, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 217, dated the 05th June, 2024, namely : —

In the said notification, after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely: —

"(iv) supply of the following goods bearing the description specified in column (3), falling under the corresponding Chapter/ heading/ sub-heading/ tariff item specified in column (2), of the Table below, on which retail sale price is declared: -

Table

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	2106 90 20	Pan masala
2.	2401	Unmanufactured tobacco; tobacco refuse [other than tobacco leaves]
3.	2402	Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes
4.	2403	Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes; "homogenised" or "reconstituted" tobacco; tobacco extracts and essences (other than biris)
5.	2404 11 00	Products containing tobacco or reconstituted tobacco and intended for inhalation without combustion
6.	2404 19 00	Products containing tobacco or nicotine substitutes and intended for inhalation without combustion

Explanation. - For the purposes of this clause, —

(a). "retail sale price" means the maximum price declared on goods at which such goods in packaged form may be sold to the ultimate consumer and includes all taxes, duties, surcharge or cess, by whatever name called;

(b). where on the package of any specified goods more than one retail sale price is declared, the maximum of such retail sale price shall be deemed to be the retail sale price;

(c). where the retail sale price declared on packages of any specified goods is altered to increase the retail sale price at any stage before, during, or after the supply, such altered retail sale price shall be deemed to be the retail sale price;

(d). where different retail sale prices are declared on different packages for the sale of any specified goods above in packaged form in different areas, each such retail sale price shall be the retail sale price for the purposes of valuation of the specified goods intended to be sold in the area to which the retail sale price relates.

(e). "tariff item", "heading", "sub-heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading, and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);

(f). the rules for the interpretation of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this clause.”

2. This notification shall come into force on the 1st day of February 2026.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S.K. SINGH, Deputy Secretary.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 2 फरवरी 2026

अधिसूचना
सं. 20/2025–राज्य कर

F.N. RULE/114/2026-COMTAX SECTION (06).— छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, माल और सेवा कर परिषद् की सिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये नियम 1 फरवरी, 2026 से प्रवृत्त होंगे।

2. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 (इसके बाद 'उक्त नियम' कहे गए हैं) में, नियम 31ग के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"**31घ. खुदरा विक्रय मूल्य के आधार पर माल की आपूर्ति का मूल्य—** (1) इस अध्याय के किसी भी उपबंध में निहित किसी भी बात के बावजूद, नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (3) में दिए गए विवरण वाले माल, जो तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट संगत अध्याय/ शीर्षक/ उप-शीर्षक/ शुल्क-वस्तु के अंतर्गत आते हैं, की आपूर्ति का मूल्य, ऐसे माल पर घोषित खुदरा विक्रय मूल्य से लागू कर की राशि को घटाकर माना जाएगा, अर्थात्:—

तालिका

क्र. सं.	अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/शुल्क वस्तु	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	2106 90 20	पान मसाला
2.	2401	अवनिर्मित तंबाकू; तंबाकू उच्छिष्ट [तंबाकू के पत्तों को छोड़कर]
3.	2402	सिगार, चेरूट, सिगारिलो और सिगरेट, तंबाकू या तंबाकू के विकल्प से बनी
4.	2403	अन्य निर्मित तंबाकू और निर्मित तंबाकू विकल्प; "समांगीकृत" या "पुनरचित" तंबाकू; तंबाकू निष्कर्ष और सत्व (बीड़ी को छोड़कर)
5.	2404 11 00	तंबाकू या पुनरचित तंबाकू युक्त माल और दहन के बिना श्वसन के लिए अभिप्रेत
6.	2404 19 00	तंबाकू या निकोटीन विकल्प युक्त माल और दहन के बिना श्वसन के लिए अभिप्रेत

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट लागू कर की राशि का निर्धारण निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा, अर्थात्:—

कर राशि = (खुदरा विक्रय मूल्य × लागू करों की प्रतिशत दर) / (100 + लागू कर दरों का योग)

स्पष्टीकरण.— इस नियम के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "लागू कर" का तात्पर्य एकीकृत माल और सेवा कर (आई.जी.एस.टी) या केंद्रीय माल और सेवा कर (सी.जी.एस.टी) या राज्य माल और सेवा कर (एस.जी.एस.टी) या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यू.टी.जी.एस.टी) से है, जैसा कि मामला हो;

(ख) "खुदरा विक्रय मूल्य" का तात्पर्य माल पर घोषित अधिकतम मूल्य से है जिस पर ऐसा माल पैकिंग में रूप में अंतिम उपभोक्ता को विक्रय के लिए हो सकता है और इसमें सभी कर, ड्यूटी, अधिभार या उपकर सम्मिलित हैं, चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जाएं;

(ग) जहां किसी निर्दिष्ट माल के पैकेज पर एक से अधिक खुदरा विक्रय मूल्य घोषित किए गए हों, वहां ऐसे खुदरा विक्रय मूल्यों में से अधिकतम को खुदरा विक्रय मूल्य माना जाएगा;

(घ) जहां किसी निर्दिष्ट माल के पैकेज पर घोषित खुदरा विक्रय मूल्य को आपूर्ति से पहले, दौरान या उसके पश्चात् किसी भी अवस्था में खुदरा विक्रय मूल्य में वृद्धि के लिए बदल दिया गया हो, वहां ऐसे परिवर्तित खुदरा विक्रय मूल्य खुदरा को विक्रय मूल्य माना जाएगा;

(ङ) जहां किसी निर्दिष्ट माल के पैकेज पर विभिन्न क्षेत्रों में पैकिंग के रूप में विक्रय के लिए विभिन्न खुदरा विक्रय मूल्य घोषित किए गए हों, वहां प्रत्येक ऐसा खुदरा विक्रय मूल्य उस क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट माल के मूल्य निर्धारण के प्रयोजनों के लिए खुदरा विक्रय मूल्य होगा जिससे यह खुदरा विक्रय मूल्य संबंधित है।"

3. उक्त नियमों में, नियम 86ख में, प्रथम परंतुक में, खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(च) निर्माता के अलावा पंजीकृत व्यक्ति को इस नियम के उपबंधों से छूट केवल नियम 31घ के अंतर्गत निर्दिष्ट माल के संबंध में होगी, जिन पर आपूर्तिकर्ता द्वारा खुदरा विक्रय मूल्य के आधार पर कर दिया गया है:"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. सिंह, उप–सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 2 फरवरी 2026

F.N. RULE/114/2026-COMTAX SECTION (06) - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना F.N.RULE/114/2026-COMTAX SECTION (06), दिनांक 02-02-2026 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. सिंह, उप–सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 2nd February 2026

NOTIFICATION
No. 20/2025-State Tax

F.N. RULE/114/2026-COMTAX SECTION (06).— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: —

1. **Short title and commencement.** (1) These rules may be called as the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Fifth Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force from 1st day of February, 2026.

2. In the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), after rule 31C, the following rule shall be inserted, namely: —

"31D. Value of supply of goods on basis of retail sale price. -(1) Notwithstanding anything contained in the provisions of this Chapter, the value of supply of goods bearing the description specified in column (3), falling under the corresponding Chapter/heading/sub-heading/ tariff item specified in column (2), of the Table below, shall be deemed to be the retail sale price declared on such goods, less the amount of tax as applicable, namely: -

TABLE

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	2106 90 20	Pan masala
2.	2401	Unmanufactured tobacco; tobacco refuse [other than tobacco leaves]
3.	2402	Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes
4.	2403	Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes; “homogenised” or “reconstituted” tobacco; tobacco extracts and essences (other than biris)
5.	2404 11 00	Products containing tobacco or reconstituted tobacco and intended for inhalation without combustion
6.	2404 19 00	Products containing tobacco or nicotine substitutes and intended for inhalation without combustion

(2) The amount of applicable tax referred to in sub-rule (1) shall be determined in the following manner, namely: —

Tax amount = (Retail sale price X tax rate in % of applicable taxes) / (100+ sum of applicable tax rate).

Explanation. — For the purposes of this rule, —

(a) “applicable tax” means IGST or CGST or SGST or UTGST as the case may be.

(b) "retail sale price" means the maximum price declared on goods at which such goods in packaged form may be sold to the ultimate consumer and includes all taxes, duties, surcharge or cess by whatever name called;

(c) where on the package of any specified goods more than one retail sale price is declared, the maximum of such retail sale price shall be deemed to be the retail sale price;

(d) where the retail sale price declared on packages of any specified goods is altered to increase the retail sale price at any stage before, during, or after the supply, such altered retail sale price shall be deemed to be the retail sale price;

(e) where different retail sale prices are declared on different packages for the sale of any specified goods above in packaged form in different areas, each such retail sale price shall be the retail sale price for the purposes of valuation of the specified goods intended to be sold in the area to which the retail sale price relates.".

3. In the said rules, in rule 86B, in the first proviso, after clause (e), the following clause shall be inserted, namely: —

"(f) the registered person other than a manufacturer shall be exempted from the provisions of this rule only in respect of goods specified under rule 31D, on which the tax has been paid by the supplier on the basis of retail sale price:".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S.K. SINGH, Deputy Secretary.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 2 फरवरी 2026

अधिसूचना

सं. 19/2025–राज्य कर (दर)

F.N. RULE/114/2026-COMTAX SECTION (07).— छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 9 की उप–धारा (1) और धारा 15 की उप–धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना संख्या 09/2025–राज्य कर (दर) क्रमांक F.N. RULE/541/2025-COMTAX SECTION (61) दिनांक 17 सितम्बर, 2025 जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 726 दिनांक 17 सितम्बर, 2025 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:– उक्त अधिसूचना में,–

(क) अनुसूची II – 9% में, क्रम सं. 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: –

''4क.	2403 19 21, 2403 19 29	बीड़ियां;'':

(ख) अनुसूची III – 20% में, क्रम सं. 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

''14.	2106 90 20	पान मसाला;
15.	2401	अवनिर्मित तंबाकू; तंबाकू उच्छिष्ट [तंबाकू के पत्तों को छोड़कर];
16.	2402	सिगार, चेरूट, सिगारिलो और सिगरेट, तंबाकू या तंबाकू के विकल्प से बनी;
17.	2403 (2403 19 21, 2403 19 29 के अलावा)	अन्य निर्मित तंबाकू और निर्मित तंबाकू विकल्प; ''समांगीकृत'' या ''पुनरचित'' तंबाकू; तंबाकू निष्कर्ष और सत्व (बीड़ी को छोड़कर);
18.	2404 11 00	तंबाकू या पुनरचित तंबाकू युक्त माल और दहन के बिना श्वसन के लिए अभिप्रेत;
19.	2404 19 00	तंबाकू या निकोटीन विकल्प युक्त माल और दहन के बिना श्वसन के लिए अभिप्रेतच।'';

(ग) अनुसूची VII – 14% को और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाता है।

2. यह अधिसूचना 1 फरवरी, 2026 को प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. सिंह, उप–सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 2 फरवरी 2026

F.N. RULE/114/2026-COMTAX SECTION (07).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना F.N. RULE/114/2026-COMTAX SECTION (07), दिनांक 02–02–2026 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. सिंह, उप–सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 2nd February 2026

NOTIFICATION
No. 19/2025-State Tax (Rate)

F.N. RULE/114/2026-COMTAX SECTION (07).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification No. 09/2025–State Tax (Rate), No. F.N. RULE/541/2025-COMTAX SECTION (61), Chhattisgarh Commercial Tax Department, dated the 17th September, 2025, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 726, dated the 17th September, 2025, namely:-

In the said notification, -

(a) in the Schedule II – 9%, after S. No. 4 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

"4A.	2403 19 21, 2403 19 29	Biris;";

(b) the Schedule III – 20%, after S. No. 13 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

"14.	2106 90 20	Pan masala;
15.	2401	Unmanufactured tobacco; tobacco refuse [other than tobacco leaves];
16.	2402	Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes;
17.	2403 (other than 2403 19 21, 2403 19 29)	Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes; homogenised‖ or reconstituted tobacco; tobacco extracts and essences [other than biris];
18.	2404 11 00	Products containing tobacco or reconstituted tobacco and intended for inhalation without combustion;
19.	2404 19 00	Products containing tobacco or nicotine substitutes and intended for inhalation without combustion.";

(c) the Schedule VII – 14%, and the entries relating thereto shall be omitted.

2. This notification shall come into force with 1st day of February, 2026.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S.K. SINGH, Deputy Secretary.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 2 फरवरी 2026

अधिसूचना

F.N. GENCOR/1797/2026-COMTAX SECTION (08).— छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, अधिसूचना क्रमांक एफ 10–45/2011/वाक/पांच (55) दिनांक 16 दिसम्बर 2011 में निम्नानुसार संशोधन करता है :–

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनसूची के सरल क्रमांक 7 के स्तंभ क्रमांक 4 में, अंक ''3'' के स्थान पर, अंक ''2'' प्रतिस्थापित किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. सिंह, उप–सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.